संख्या- 151 / 2016 / 143 /चार-2016-82(वि0)/13

प्रेषक,

सूर्यमणि लालचन्द
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम-प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपने पत्र संख्या- 2842 /सं0नि0-6(79)/2013-14 दिनांक 25 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम -प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु मूल्यांकित धनराशि रू0 485.44 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 43 /1105 / चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 25 मार्च , 2015 द्वारा धनराशि रू0 80.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 92 /3944 /चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 14 अक्टूबर 2015 द्वारा धनराशि रू0 50.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 130.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 43 /1105 /चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 25 मार्च , 2015 तथा शासनादेश संख्या- 92 /3944 /चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 14 अक्टूबर 2015 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी ।

4 - कार्य पूर्ण होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -आयोजनागत- 4202-शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04- कला तथा संस्कृति - 800-अन्य व्यय-32-जनपद बदायूँ में प्रेक्षागृह के निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचन्द)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 151 / 2016 / 143 /चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ।
3-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ कि कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
6- महाप्रबन्धक जोन-7 उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ,लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-6 , उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।